राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

कमांकः एफ.वी.1 (12) /यो./बकरी/2005/ दिनांकः

निदेशक,
पशुपालन विभाग, राजस्थान,
जयपुर।

विषयः– बकरियों के नस्ल सुधार के लिए बकरीपालन योजनान्तर्गत संशोधन की स्वीकृति।

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि पूर्व से संचालित बकरियों के नस्ल सुधार के लिए बकरीपालन योजना में आपके प्रस्तावानुसार निम्नानुसार संशोधन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क.सं.	विवरण	योजना में पूर्व में प्रावधान	योजना में संशोधित प्रादधान
1	लाभान्वित जिले	15	20
2	बकरीपालक (प्रति जिला)	100	50
3	बकरा कय पर अधिकतम अनुदान राशि	रू. 2500/–	रू. 5000/–
4	प्रशिक्षण पर व्यय	3.90 लाख	4.00 लाख

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–I) विभाग की आई.डी. संख्या 151300886 दिनांक 01.08.2013 द्वारा प्राप्त प्राप्त सहमति से जारी की जाती है। विभाग समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(बी. एल. नागर)
शासन उप सचिव

कमांकः एफ.वी.1 (12) /यो./बकरी/2005/ 6884–87 दिनांकः 19/9/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

D:\Sunil 1-4-2013\LETTER.doc

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज0 जयपुर

क्रमांक :– एफ.वी.1(12)यो / बकरीपालन / 2005 / दिनांक :–

संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग,
अजमेर / भीलवाड़ा / नागौर / टोंक /
भरतपुर / धौलपुर / करौली / सवाईमाधोपुर /
जोधपुर / बाडमेर / जालौर / पाली /
उदयपुर / राजसमन्द / चित्तोडगढ / बांसवाडा
अलवर / सीकर / बून्दी / चूरू।

विषयः–संशोधित बकरीपालन योजना की कियान्विति बाबत।
संदर्भः–शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग का पत्र कमांक एफ.वी. 1(12)योजना / बकरीपालन / 2005 / 6883–87 दिनांक 19.9.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत बकरीपालन योजना के संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा समस्त आदेश / परिपत्र आदि के अतिक्रमण में शासन द्वारा संदर्भित पत्र से बकरीपालन योजना में आवश्यक संशोधन किये गये है। संशोधित योजना की प्रति संलग्न है।

अतः संशोधित बकरीपालन योजना अनुरूप बकरीपालकों का चयन कर योजना का लाभ प्रदेश के बकरी पालकों को उपलब्ध करावें एवं चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना की कियान्विति प्रारंभ कर शतः प्रतिशत उपलब्धी अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें। योजना का व्यय निम्न लेखा शीर्षक से किया जावेगा।

लेखा शीर्षक: 2403–पशुपालन
101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
(05)–अस्पताल एवं चिकित्सालय
91–सहाय (आयोजना व्यय)

योजना की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिमाह पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में उपनिदेशक (निष्क्रमण) पशुपालन निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

ह0
(डा0 राजेश मान)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.वी.1(12)यो / बकरीपालन / 2005 / 7095-7112 दिनांक :– 24/9/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य लेखाधिकारी पशुपालन निदेशालय को भेजकर लेख है कि योजनानुसार संबंधित जिला कार्यालयों को बजट आवंटित करावे।
2. अतिरिक्त निदेशक–स्वास्थ्य / उत्पादन / दवा प्रकोष्ठ / मोनेटरिंग / फार्म एवं सम्पदा निदेशालय।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन विभाग।
4. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) पशुपालन निदेशालय को भेजकर लेख है कि निदेशालय स्तर पर योजना के कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य सम्पादित करे एवं नियमित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करें।
5. संयुक्त निदेशक–विस्तार / सांख्यिकी पशुपालन निदेशालय।
6. उपनिदेशक (निष्क्रमण) पशुपालन निदेशालय को भेजकर लेख है कि इस योजना की प्रगति सुनिश्चित करावें तथा प्रतिमाह प्रगति से संयुक्त निदेशक एस.ए. / योजना / सांख्यिकी को अवगत करावें।

निदेशक

E/Rajkumar/PLAN/ letter P3

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

संशोधित बकरी पालन योजना

राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है। साथ ही काफी बड़ा भाग जनजाति बाहुल्य पर्वतीय क्षेत्र भी है। पशुगणना 2007 के अनुसार 567.00 लाख पशुधन एवं 50.00 लाख कुक्कुट सम्पदा है, जिसमें से 215 लाख बकरियां उपलब्ध है । प्रदेश की जनसंख्या का करीब 77.12 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। प्रदेश की अधिकांश जनसाधारण की जीविका कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में लगभग 11 प्रतिशत योगदान पशुपालन से है।

प्रदेश की इस विशाल एवं बहुमूल्य पशु सम्पदा की महत्ता को बनाये रखने, उनके विकास एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से पशुपालन विभाग विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से निरन्तर सेवाएँ उपलब्ध करवा रहा है, जिससे पशुधन उत्पादन की अभिवृद्धि के साथ ग्रामीण विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके ।

बकरी एक बहुपयोगी पशु है, जो हर तरह की जलवायु में रहने की क्षमता रखती है। बकरी पालन से कम पूंजी एवं कम साधन से आरम्भ कर परिवार के भरण पोषण के लिए नियमित आय प्राप्त की जा सकती है । बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। अतः प्रदेश में सामान्यतया गरीब परिवारों द्वारा जिनके पास गाय अथवा भैंस पालने के लिए समुचित पूंजी एवं साधन नहीं होते है उनके द्वारा बकरी पालन का कार्य द्वारा किया जाता है । मुख्यतः लघु एवं सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन विशेषतया बेसहारा महिलाओं द्वारा बकरीपालन कार्य आजीविका अर्जित की जाती है।

राज्य में पाई जाने वाली बकरी की नस्लें :-

(1) सिरोही (2) मारवाड़ी (3) जखराना (4) जमुनापारी

बकरी पालन से निम्न प्रकार आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।

1. दूध बेचकर ।
2. मांस के उपयोगार्थ बेचकर ।
3. दुधारू बकरियों को बेचकर ।
4. खाल को बेचकर।
5. मिंगनियों को खाद के रूप में बेचकर।

सिरोही नस्ल की बकरियां राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं के आसपास के क्षेत्र में तथा सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सीकर एवं जालौर जिलों में मुख्य रूप से पायी जाती है। इस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं सूखा सहन करने की क्षमता अन्य बकरियों की अपेक्षा अधिक होती है । इस नस्ल के पशु मुख्यतः मांस एवं दूध के लिए पाले जाते है। इस नस्ल की बकरियों में एक साथ एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने एवं शीघ्र वजन बढने के कारण इनको पालने के लिए पसंद किया जाता है। प्रजनन योग्य नर का औसत शरीर भार 40 से 50 किलो व मादा शरीर भार 30 से 35 किलो होता है । इनका औसत दुग्ध उत्पादन 100 कि.ग्रा. (115 दिन में) होता है। जमुनापारी नस्ल की बकरियां राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र धौलपुर, भरतपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर में बहुतायत में पायी जाती है। परिचमी राजस्थान में मारवाडी नस्ल की बकरियाँ, मांस उत्पादन के लिए उपयोग है। अलवर जिले के तहरोड के पास पाली जाने वाली जखराना बकरियां अधिक दूध के लिए प्रख्यात है।

परियोजना का उद्देश्य

1. बकरियों में अधिक उत्पादन क्षमता विकास हेतु नस्ल सुधार करना।
2. बकरीपालन हेतु प्रबन्धन, आहार एवं रोग नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण एवं प्रचार व प्रसार करना।
3. रेवड़ का आकार सीमित रखकर उचित रख रखाव करना ।
4. रेवड में रोग नियंत्रण एवं प्रबन्धन द्वारा मृत्यु दर कम करना।
5. दुग्ध एवं मांस उत्पादन में अभिवृद्धि करना ।
6. बकरीपालकों की आय/मुनाफे में वृद्धि कर सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना।
7. बकरीपालन द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना एवं अवसर में वृद्धि।

कार्य योजना

गत वर्षों की पशुगणना अनुसार राज्य के उक्त वर्णित 20 जिलों में जहां बकरी बहुतायत से पायी जाती है, में सिरोही/जमुनापरी/मारवाडी/जखराना नस्ल की बकरियों के नस्ल सुधार को प्राथमिकता दी जावेगी।

1. 20 जिलों की 2-2 पंचायत समितियों का चयन कर बकरीपालकों को अनुदानित दरों पर सिरोही/जमुनापरी/मारवाडी/जखराना नस्ल के बकरे उपलब्ध करवाये जावेंगे। प्रति बकरा क्रय मूल्य पर 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू. 5000/- देय होगा।
2. प्रत्येक पंचायत समिति के 1 से 10 गांवों में बकरीपालकों का पंजीकरण किया जायेगा । जिसमें कम से कम 25 बकरीपालक सदस्य होंगे। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पास प्रत्येक 10-20 बकरियों के लिए एक उन्नत बकरा देय होगा।
4. प्रत्येक सदस्य के पास कम से कम 10-20 बकरियां होना आवश्यक होगा। बकरी पालकों को बकरी पालन का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
5. समस्त सदस्यों द्वारा बीजू बकरा प्राप्त करने से पूर्व अपने पास उपलब्ध नर बकरों का बधियाकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा एवं वह उपलब्ध करवाये गये उन्नत बीजू बकरे के अतिरिक्त अन्य कोई बकरा नहीं रख सकेगा ।
6. बकरी पालकों को उन्नत नस्ल के बीजू बकरे नस्ल सुधार हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। बकरा प्राप्त हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र नजदीकी पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
7. बकरीपालकों की बकरियों के उचित स्वास्थ्य (कृमिनाशक दवा पिलाना), रोग प्रकोप से बचाव (टीकाकरण कार्य) एवं पशु विक्रय आदि का कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जायेगा। इसके लिए बकरीपालक को कोई किट उपलब्ध नहीं कराया जायेगा ।
8. लाभार्थी बकरीपालकों के चयन में 50 प्रतिशत महिला बकरीपालकों का चयन अनिवार्य होगा। एक परिवार से मात्र एक ही सदस्य को योजना का लाभ देय होगा।
9. बकरी पालकों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी।
10. ऐसे जिले जहां स्वयंसेवी संस्थायें बकरीपालन पर स्वयं सहायता समूह गठित कर कार्य कर रही है, वहां बीजू बकरे उनके सहयोग से वितरित किये जा सकेंगे।
11. स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से बकरा वितरण करते समय बकरीपालन संबंधी सभी समूह व उनके सदस्यों की सूची प्राप्त की जावेगी तथा 1 वर्ष बाद योजना से हुए लाभ की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की जावेगी।
12. बीजू बकरा वितरित क्षेत्र में बकरे की उपलब्धता व उपयोगिता तथा उनके पर्यवेक्षण आदि का

उत्तरदायित्व नजदीक के प्रभारी पशु चिकित्सालय का रहेगा। अतः वितरित बकरे की पूर्व सूचना सम्बन्धित प्रभारी पशु चिकित्सालय को देनी होगी तथा निदेशालय स्तर पर योजना का पूर्ण पर्यवेक्षण संयुक्त निदेशक (स्माल एनीमल) के मार्गदर्शन में उपनिदेशक निष्क्रमण द्वारा किया जावेगा।

कार्य क्षेत्र एवं नस्ल :-

1. सिरोही:- अजमेर, बांसवाडा, भीलवाडा, चित्तौडगढ, जालौर राजसमन्द उदयपुर, टोंक, बून्दी, नागौर, सीकर एवं पाली।
2. जमनापारी:- भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर (भरतपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में) एवं करौली।
3. मारवाडी:- बाडमेर, जोधपुर, चुरू
4. जखराना:- अलवर जिला (विशेषकर बहरोड क्षेत्र)

योजना कियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश

(अ) बीजू बकरा क्रय

1. बीजू बकरा कैसा हो-
   - नस्ल : सम्बन्धित क्षेत्र की चिन्हित नस्ल का हो।
   - उच्च गुणवत्ता वाला जो कि दुग्ध एवं मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त हो।
   - उम्र न्यूनतम 15 माह।
   - न्यूनतम शारीरिक वजन 30 कि. ग्रा.।
2. बकरा क्रय हेतु समिति एव क्रय के दिशा-निर्देश-

   बकरा क्रय हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है:-

   1. जिले के संयुक्त निदेशक या उनका प्रतिनिधि उपनिदेशक स्तर से कम नहीं।
   2. बकरी विकास हेतु चयनित कलस्टर के नोडल अधिकारी (वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी)
   3. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक अथवा अन्य कार्यालय से मनोनीत कनिष्ठ लेखाकार।
   4. चयनित बकरीपालक
      - उपरोक्त में से किसी एक के भी अनुपस्थित होने पर बकरा क्रय नहीं किया जावेगा।
      - बकरीपालक द्वारा उसके रेवड के लिए क्रय किये जाने वाले बीजू बकरे की कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम देय अनुदान रू. 5000 से अतिरिक्त कीमत का भुगतान बकरी पालक द्वारा क्रय के समय देय होगा।
      - यदि क्रय समिति अन्य तहसील के बकरीपालक से बकरे क्रय करेगी तथा विक्रेता को बकरों के कुल मूल्य का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर इसे समिति के द्वारा प्रमाणित किया जावेगा।
3. बीजू बकरा क्रय का स्थान-
   1. बकरीपालक जिस तहसील का निवासी हो उस तहसील से बीजू बकरा न खरीद कर अन्य किसी तहसील से क्रय किया जाना चाहिए।
   2. ऐसा स्थान जहां संबंधित नस्ल के उच्च गुणवत्ता वाले बकरे बहुतायत में उपलब्ध हो।

(बे) - योजना का प्रचार-प्रसार

1. योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावेगा।
2. योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रिन्टेड मेटेरियल, पेम्पलेट, पोस्टर, प्रदर्शनी आदि का उपयोग किया जावे।
3. प्रशिक्षित चयनित बकरीपालकों को ज्ञानवर्धन के लिए पठन सामग्री (जैसे बकरी पालन पर हिन्दी पुस्तक) भी उपलब्ध करवाई जावे।
4. चयनित बकरीपालकों के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जावे।
5. बकरीपालन प्रतियोगिताओं का आयोजन करावें ताकि बकरीपालकों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा हो।
6. चयनित बकरीपालकों की समस्याओं के समाधान के लिए बकरीपालक गोष्ठी आयोजित की जावे।

(स) योजना का कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन

1. योजनान्तर्गत क्रय किए गये समस्त बीजू बकरों का भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह मई-जून में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में कर संकलित प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय के संयुक्त निदेशक (एस.ए.) को प्रेषित करावें।
2. योजनान्तर्गत क्रय किए गये समस्त बीजू बकरों की नियमित स्वास्थ्य जाँच की जावे।
3. बकरीपालक को नियमित बीमा करवाने के लिए प्रेरित करें।
4. बीजू बकरे की मृत्यु पर पोस्टमार्टम अवश्य कराया जावे। बीमित बीजू बकरे का क्लेम बकरीपालक को दिलावे।
5. बीजू बकरों को उच्च विपणन सुविधा मुहैया कराई जावे ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके।

जिलेवार लाभान्वित बकरीपालकों की संख्या निम्नानुसार होगी:-

च्यनित जिले	पंचायत समिति (2 प्रति जिला)	प्रति पंचायत समिति बकरीपालक	कुल सदस्य
20	40	25	1000

वित्तीय प्रावधान

क्र.सं.	विवरण	दर	वार्षिक प्रावधित राशि (लाखों में)
1.	बकरीपालक प्रशिक्षण (2 दिवस X 1000 प्रशिक्षणार्थी)	1000 प्रशिक्षणार्थी, रू. 200 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन (व्याख्याता को मानदेय, प्रशिक्षण आयोजन /पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी पर व्यय आदि)	4.00
2.	1000 बीजू बकरे के क्रय पर अनुदान (क्रय मूल्य पर 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू. 5000/- देय होगा।)।	रू. 5000 प्रति बीजू बकरा अनुदान	50.00
	योग		54.00

कुल व्यय 54.00 लाख रूपये

परियोजना के लाभ :

- बकरी नस्ल सुधार
- स्वास्थ्य रक्षा, मृत्युदर में कमी
- दुग्ध अभिवृद्धि
- मांस अभिवृद्धि
- पशु की मृत्यु की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा
- पशु पोषण में सुधार
- पशुपालकों के पोषण स्तर में सुधार
- उन्नत पशुपालन का ज्ञानवर्द्धन
- पशु पालन का व्यावसायीकरण कर उचित विपणन, आय में वृद्धि द्वारा स्वावलम्बन।
- पशुपालकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान।

(बी0 एल0 नागर)
शासन उप सचिव
पशुपालन विभाग